प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 21.06.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई कर जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा सम्बन्धित को समस्या निस्तारण हेतु जरिये दूरभाष दिये गये आवश्यक निर्देश।

जनपद महोबा में पीड़ित/शिकायतकर्ता की समस्याओं के समुचित एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई की जा रही है।

जनता की समस्याओं के समाधान के क्रम में आज दिनांक 21.06.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा फरियादियों/जनसामान्य की शिकायतों एवं समस्याओं को एक-एक करके गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा जनता की समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण विधिक निस्तारण सुनिश्चित किये/कराये जाने के लिए सम्बन्धित को मौके पर जरिये दूरभाष आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित को आदेशित किया गया कि मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करें, लापरवाही की सूचना पर सम्बन्धित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की चेतावती प्रदान की गयी साथ ही शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 21.06.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत कम्यूनिटी पुलिसिंग एवं महिला सशक्तिकरण हेतु शक्ति दीदी (महिला बीट एवं महिला हेल्प डेस्क) के माध्यम से जनपद में विभिन्न स्थानों पर संचालित कराये गये आउटरीच प्रोग्राम।

प्रदेश सरकार द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत आज दिनांक 21.06.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में शक्ति दीदी (महिला बीट तथा महिला हेल्प डेस्क) के माध्यम से जनपद के समस्त थानों पर आउटरीच प्रोग्राम चलाकर अपने-अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत आबादी क्षेत्र, बाजारों, भीड़भाड़ वाले इलाकों, स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, मेलों एवं गांव में पहुंचकर बालिकाओं/छात्राओं एवं महिलाओं को महिला उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी अधिकारों एवं महिला उत्पीड़न के संबंध में पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में जागरूक किया गया तथा प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु चलायी जा रही विभिन्न योजनाओ मुख्यमंत्री सुमंगला योजना ,निराश्रित महिला पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बैंकिंग कॉरस्पोडेंट सखी, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना व राष्ट्रीय पोषण मिशन के संबंध मे विस्तृत जानकारी दी गयी साथ ही किसी भी अप्रिय घटना के बारे में संदेह होने पर हेल्पलाइन नम्बर-112, 108, 181, 1076, 1090,1098 की जानकारी देते हुए इनके प्रयोग की विस्तृत जानकारी दी गई एवं तत्काल थाना स्थानीय पुलिस को सूचित करने के बारे में जागरूक किया गया।

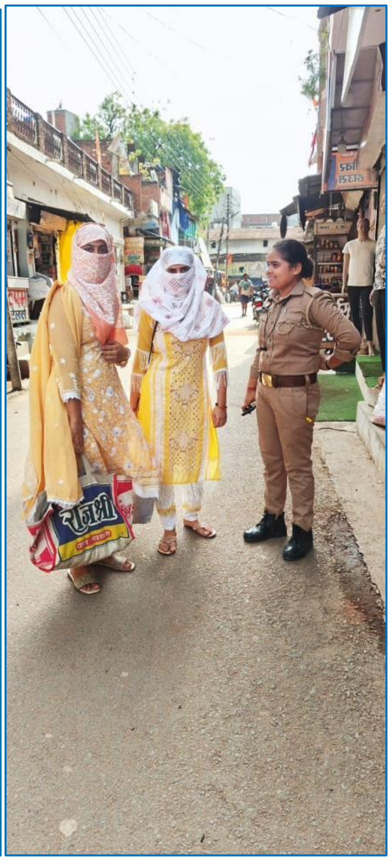

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 21.06.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

दशम् अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग शिविर कार्यशाला का किया गया भव्य आयोजन-

आज दिनांक **21.06.2024** को "दशम अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस" के अवसर पर स्पोर्ट्स स्टेडियम महोबा ग्राउंड में योग शिविर कार्यशाला का आयोजन नोडल अधिकारी श्री शाहिद मंजर अब्बास रिजवी जी, वित्त सचिव, उ.प्र. की गरिमामयी उपस्थिति में जिलाधिकारी महोबा श्री मृदुल चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा जनपद के सम्मानित जनप्रतिनिधियों तथा अन्य प्रशासनिक/पुलिस अधिकारियों के साथ किया गया, जिसकी थीम **"योग- स्वयं और समाज के लिये/Yoga For Self And Society** रखी गई है", जिसमें स्थानीय लोगों द्वारा भी इस योग शिविर कार्यशाला में बढ़-चढ के हिस्सा लिया गया, इस दौरान सामूहिक रुप से योग प्रशिक्षक द्वारा सभी को योग के प्रति जागरुक करते हुए योगाभ्यास कराया गया। इस दौरान योग प्रशिक्षक द्वारा मानव जीवन में योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित सभी को नियमित रुप से योगाभ्यास करने हेतु प्रेरित किया गया तथा विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्र-छात्राओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनको उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी गयी।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस लाइन महोबा प्रांगड में भी योग शिविर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण को योग प्रशिक्षक द्वारा शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रखने के लिए योगाभ्यास कराया गया तथा बताया गया कि योग द्वारा न सिर्फ बीमारियों का उपचार किया जाता है अपितु इसे अपनाकर कई शारीरिक और मानसिक कमियों को भी दूर किया जा सकता है, तन और मन दोनों को सेहतमंद बनाए रखने के लिए नियमित रूप से योगासनों को दिनचर्या में शामिल करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त जनपदीय पुलिस के समस्त थानों/चौकी तथा पुलिस कार्यालयों में भी योग शिविर/कार्यशाला का आयोजन कर योगाभ्यास किया गया।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं
प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 21.06.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा
उत्तर प्रदेश पुलिस

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय में अवस्थापित अपराध शाखा का किया गया अर्दली रुम, दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश ।

आज दिनांक 21.06.2024 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय में अवस्थापित अपराध शाखा का अर्दली रुम किया गया, इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध शाखा में लम्बित विवेचनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुये विवेचनाओं की प्रगति का जायजा लिया गया, जिसके अन्तर्गत अपराध शाखा में नियुक्त समस्त विवेचकगणों को विवेचनाओं के त्वरित, समयबद्ध, निष्पक्षतापूर्ण एवं गुणवत्तापूर्ण रुप से निस्तारण करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये ।

इस दौरान अपराध शाखा में नियुक्त निरीक्षक श्री नन्हेलाल यादव, निरीक्षक श्री ईश्वर शरण राय, तथा निरीक्षक विनोद कुमार सिंह मौजूद रहे।

थाना कबरई की पुलिस टीम द्वारा अवैध शराब का निर्माण करने वाली 02 नफर अभियुक्ताओं को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 55 ली0 कच्ची शराब बरामद करते हुये करीब 400 लीटर लहन किया गया नष्ट

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन मे एंव अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी सदर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अवैध शराब निर्माण, बिक्री, तस्करी व अवैध स्प्रिट/एल्कोहल पर अंकुश लगाए जाने तथा अवैध कृत्य में संलिप्त/सक्रिय व्यक्तियों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कबरई श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा टीम का गठन किया गया।

गठित टीम के उ0नि0 रामकिशन यादव मय आबकारी टीम के द्वारा 02 नफर अभियुक्तगण 1. मंजा पत्नी राजकुमार कबूतरा उम्र 52 वर्ष के कब्जे से 30 लीटर अवैध कच्ची शराब व 2. लक्ष्मी पत्नी सुजीत कबूतरा उम्र 37 वर्ष के कब्जे से 25 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ वर्मा तालाब कबूतरा डेरा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया तथा मौके पर ही लगभग 400 लीटर लहन मौके पर नष्ट किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्ताओं के विरुद्ध थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं0 169/2024 व मु0अ0सं0 170/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 रामकिशन यादव मय आबकारी टीम

गिरफ्तार अभियुक्ता-

1. मंजा पत्नी राजकुमार कबूतरा उम्र 52 वर्ष निवासी वर्मा तालाब कबूतरा डेरा थाना कबरई जनपद महोबा
2. लक्ष्मी पत्नी सुजीत कबूतरा उम्र 37 वर्ष निवासी वर्मा तालाब कबूतरा डेरा थाना कबरई जनपद महोबा।